क्रमांक-62

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 27 जून, 2017 (आषाढ़ 6, 1939)

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 – विधान सभा के माननीय सदस्यों को नई दिल्ली या अन्य राज्यों के मुख्यालयों में मतदान करने की सुविधा बावत.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों हेतु, जो किसी कारणवश राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिये मतदान की तिथि को संबंधित राज्यों की राजधानियों में मतदान करने में असमर्थ हैं, उनके विशेष अनुरोध पर नई दिल्ली स्थित संसद भवन के कक्ष क्रमांक 62 में बनाये जाने वाले मतदान केन्द्र पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इस सुविधा हेतु संबंधित सदस्य को उनके द्वारा नई दिल्ली में मतदान करने के लिए 10 दिवस पहले अनुरोध **प्ररूप-क** में कर आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होगी.

2. सामान्यत: निर्वाचन आयोग किसी भी मान. सदस्य को उसके राज्य या संसद भवन के कक्ष के अलावा किसी अन्य स्थान पर मतदान की सुविधा प्रदान नहीं करता है. किंतु विशेष परिस्थितियों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसी माननीय सदस्य के अपने राज्य मुख्यालय के मतदान स्थल एवं नई दिल्ली स्थित मतदान स्थल से दूर होने एवं मतदान दिवस को उक्त दोनों स्थानों पर न पहुंच पाने की स्थिति में माननीय सदस्य द्वारा उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए **प्ररूप-ख** में पूर्ण औचित्य के साथ अनुरोध किये जाने पर उसे अपवाद स्वरूप देश के अन्य राज्य मुख्यालयों में स्थित मतदान केन्द्र पर अनुरोध अनुसार मतदान की अनुमति प्रदान की जा सकेगी.

3. अन्यत्र स्थलों पर मतदान की सुविधा, इच्छुक मान. सदस्य को, इस शर्त के अध्यधीन उपलब्ध कराई जायेगी कि एक बार उक्त विकल्प लेने के पश्चात् इसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी.

4. अत: एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के समस्त निर्वाचित मान. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि दिनांक 17 जुलाई, 2017 को किसी विशेष कारणवश मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान करने के स्थान पर नई दिल्ली स्थित उपरिवर्णित मतदान केन्द्र या देश के अन्य राज्यों की राजधानियों में स्थित मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु सुविधा हासिल करने के इच्छुक सदस्य औचित्य सहित अपना अनुरोध संबंधित **प्ररूप-क** या **प्ररूप-ख** में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर **श्री वरिन्दर कुमार,प्रधान सचिव,भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन,अशोक रोड,नई दिल्ली-110001** को मतदान की तिथि से 10 दिवस पूर्व भिजवाकर अनुमति प्राप्त करने का कष्ट करें.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा, एवं
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर,
राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017